

F.No.25012/1/2015-Estt (A-IV)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel and Training
Establishment (A-IV) Desk

North Block, New Delhi-110 001
Dated : May 19, 2015

OFFICE MEMORANDUM

Subject : Request for Voluntary retirement from persons suffering from disability – Supreme Court Order in *Bhagwan Dass & Anr Vs Punjab State Electricity Board*, (2008) 1 SCC 579.

The undersigned is directed say that vide Department of Personnel and Training's OM No.18017/1/2014-Estt(L) dated the 25th February, 2015, certain clarifications regarding treatment of leave and absence of disabled Government servants have been issued.

2. Instances have come to notice where Government servants apply for voluntary retirement under various provisions like Rules 38, Rule 48 and 48A of CCS (Pension) Rules, 1972 or Rule 56 of the Fundamental Rule on account of hardships faced by them due to a disability, as they are unaware of the protection provided by the Section 47 of the *Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 (PWD Act)*. Section 47 of the *PwD Act, 1995* is reproduced below for reference:

"Non-discrimination in Government Employment – (1) No establishment shall dispense with, or reduce in rank, an employee who acquires a disability during his service.

Provided that, if an employee, after acquiring disability is not suitable for the post he was holding, could be shifted to some other post with the same pay scale and service benefits;

Provided further that if it is not possible to adjust the employee against any post, he may be kept on a supernumerary post until a suitable post is available or he attains the age of superannuation, whichever is earlier.


No promotion shall be denied to a person merely on the ground of his disability;

Provided that the appropriate Government may, having regard to the type of work carried on in any establishment, by notification and subject to such conditions, if any, as may be specified in such notification, exempt any establishment from the provisions of this section".

contd...

From pre-page:

3. The issue had come up in *Bhagwan Dass & Anr Vs Punjab State Electricity Board* (2008) 1 SCC 579, decided by the Hon'ble Supreme Court where the employee who had during his service suffered from blindness, had applied for voluntary retirement. The Hon'ble Supreme court has observed that the Petitioner was not aware of any protection that the law afforded him and apparently believed that the blindness would cause him to lose his job, which was the source of livelihood of his family. In those circumstances, it was the duty of the superior officers to explain to him the correct legal position and to tell him about his legal rights.
4. Keeping in view the provisions of the Section 47 of the *PwD Act, 1995* and the above mentioned judgement, it has been decided that whenever a Government servant seeks voluntary retirement citing medical grounds, or when the said notice has been submitted due to a disability, the administrative authorities shall examine as to whether the case is covered under Section 47 of *PWD Act, 1995*. In case the provisions are applicable, the Government servant shall be advised that he/she has the option of continuing in service with the same pay scale and service benefits.
5. In case a disabled Government servant reconsiders his decision and withdraws the notice for voluntary retirement, his case shall be dealt with under the provisions of the Section 47 read with the Department of Personnel and Training OM dated 25th February, 2015, mentioned above. If however, in spite of being so advised, such Government servant still wishes to take voluntary retirement, the request may be processed as per the applicable rule.
6. All the Ministries and Departments are requested to keep the above in view while processing cases of requests for Voluntary retirement from disabled Government servants.
7. Hindi version follows.


(Mukesh Chaturvedi)
Director
Tel.23093176

To

The Secretaries,
All Ministries/ Departments of the Government of India.

contd...

From pre-page:

Copy to:

1. Comptroller & Auditor General of India, New Delhi.
2. Union Public Service Commission, New Delhi.
3. Central Vigilance Commission, New Delhi.
4. Central Bureau of Investigations, New Delhi.
5. Parliament Library, New Delhi.
6. All Union Territory Administrations.
7. Lok Sabha/ Rajya Sabha Secretariat.
8. All Officers and Sections in the Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions.
9. All Attached and Subordinate Offices of Ministry of Personnel, P.G. & Pensions.
10. ✓ NIC, DoP&T with the request to upload this O.M. on Department's web site (OMs/Orders << Voluntary Retirement).
11. Deputy Director (OL) with the request to make available Hindi Version of the OM.

सं. 25012/1/2015-स्था.(ए-IV)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

स्थापना (ए-IV) डेस्क

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 19 मई, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- निःशक्त व्यक्तियों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का अनुरोध - भगवान दास और अन्य बनाम पंजाब राज्य बिजली बोर्ड (2008) 1 एससीसी 579 में उच्चतम न्यायालय का निर्णय।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25 फरवरी, 2015 के का.जा.सं. 18017/1/2014-स्था.(छुट्टी) के तहत निःशक्त सरकारी सेवकों की छुट्टी और अनुपस्थिति के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं।

2. ऐसे उदाहरण संज्ञान में आए हैं जहां सरकारी कर्मचारी किसी निःशक्तता के कारण उनके सामने आने वाली कठिनाइयों के कारण सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 38, नियम 48 और 48क अथवा मूल नियम के नियम 56 जैसे विभिन्न प्रावधानों के अधीन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अनुरोध करते हैं, क्योंकि उन्हें निःशक्त व्यक्ति (समान्य अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (निःशक्त व्यक्ति अधिनियम) की धारा 47 के तहत प्रदान किए गए संरक्षण के बारे में जानकारी नहीं होती है। निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 की धारा 47, संदर्भ हेतु नीचे दर्शाई गई है:

“सरकारी नियोजन में कोई भेदभाव नहीं - (1) किसी भी कर्मचारी को उसकी सेवा के दौरान निःशक्त होने की स्थिति में उसकी सेवाओं को न तो समाप्त किया जा सकता है और न ही उसकी रैंक को घटाया जा सकता है।


बशर्ते कि यदि ऐसा कर्मचारी जो निःशक्त होने पर उसके द्वारा धारित पद हेतु उपयुक्त नहीं रह गया हो तो उसे समान वेतनमान और सेवा लाभों के साथ किसी अन्य पद पर स्थानांतरित किया जा सकता है।

बशर्ते यह भी कि यदि ऐसे किसी कर्मचारी को किसी अन्य पद के लिए समायोजित करना संभव न हो, तो उसे किसी उपयुक्त पद के उपलब्ध होने अथवा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने, जो भी पहले हो, तक किसी अधिसंख्य पद पर रखा जा सकता है।

किसी व्यक्ति को केवल उसकी निःशक्तता के आधार पर पदोन्नति से वंचित नहीं किया जाएगा;

बशर्ते कि उपयुक्त सरकार किसी भी अधिष्ठान में किए जाने वाले कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, जिसे ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, किसी भी अधिष्ठान को इस धारा के प्रावधानों से छूट प्रदान कर सकती है।”

3. इस मुद्दे की सुनवाई भगवान दास और अन्य बनाम पंजाब राज्य बिजली बोर्ड (2008) 1 एससीसी 579 में की गई थी, और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया था जहां अपनी सेवा के दौरान दृष्टिहीनता से पीड़ित होने पर किसी कर्मचारी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि याचिकाकर्ता को कानून द्वारा उसे प्रदान किए जाने वाले संरक्षण की जानकारी नहीं थी, और उसने स्पष्ट रूप से यह माना था कि दृष्टिहीनता की वजह से उसे अपनी नौकरी छोड़नी होगी, जो कि उसके परिवार की आजीविका का साधन थी। इन परिस्थितियों में वरिष्ठ अधिकारियों का यह दायित्व था कि वे उसे सही कानूनी स्थिति और उसके कानूनी अधिकारों के बारे में बताएं।
4. निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 की धारा 47 के प्रावधानों और उपर्युक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि जब कभी भी कोई सरकारी सेवक चिकित्सा आधारों का उल्लेख करते हुए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहता है अथवा जब किसी निःशक्तता के कारण उक्त नोटिस प्रस्तुत किया जाता है तो प्रशासनिक प्राधिकारी यह परीक्षण करेंगे कि यह मामला निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 की धारा 47 के अंतर्गत आता है या नहीं। यदि इसके प्रावधान लागू होते हैं तो सरकारी कर्मचारी को यह सलाह देनी होगी कि उसके पास समान वेतनमान और सेवा लाभों के साथ सेवा में बने रहने का विकल्प उपलब्ध है।
5. यदि कोई निःशक्त सरकारी कर्मचारी अपने निर्णय पर पुनः विचार करता है और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नोटिस को वापिस लेता है तो उसके मामले को ऊपर उल्लिखित कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25 फरवरी, 2015 के का.जा. के साथ पठित धारा 47 के प्रावधानों के अंतर्गत निपटाया जाएगा। यदि, ऐसी सलाह दिए जाने के बाद भी वह सरकारी कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेना चाहता है, तो उसके आवेदन पर लागू नियमों के अंतर्गत कार्यवाई की जाए।
7. सभी मंत्रालयों और विभागों से अनुरोध किया जाता है कि वे निःशक्त सरकारी सेवकों से प्राप्त स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदन के मामलों पर कार्यवाई करते समय उक्त तथ्य को ध्यान में रखें।



(मुकेश चतुर्वेदी)

निदेशक

दूरभाष 23093176

सेवा में

सचिव,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

प्रति:-

1. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
2. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
3. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
4. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली।
5. संसद पुस्तकालय, नई दिल्ली।
6. सभी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन।
7. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय।
8. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी कार्यालय तथा अनुभाग।
9. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय।
10. एनआईसी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, इस का.जा. को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित (का.जा./आदेश << नियमावली)।